बिजनेस स्टैंडर्ड, भोपाल

6 SEP 2010

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 3 अंक 164

खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की तरफ से हो रही देरी से लगता है कि उसे इस बात का अहसास है कि कानून बनाना आसान है, पर इसका क्रियान्वयन मुश्किल है। खाद्य सुरक्षा कानून बनने पर केंद्र व राज्य सरकारों से इसके कार्यान्वयन की अपेक्षा की जाएगी। ऐसा नहीं होने पर इसकी कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। लाभार्थियों की पहचान करना एक समस्या है, उन तक अनाज पहुंचाना दूसरी और इससे भी बड़ी समस्या है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा विकसित किया जा रहा यूनिक आईडेंटिटी कार्ड, जो राइट टु फूड कानून के लिए लाभार्थियों की पहचान का आधार बनेगा। ऐसा करने का मुख्य मकसद सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा कानून दोनों के लिए वास्तविक व फर्जी लाभार्थियों के बीच [illegible] ना है। इस समय फर्जी राशन कार्डों की संख्या काफी ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, एक ओर जहां गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 6.52 करोड़ है, वहीं मार्च 2009 तक राज्य सरकारें 11.08 करोड़ राशन कार्ड जारी कर चुकी थीं। बड़ी संख्या में हकदार परिवारों के पीडीएस नेटवर्क से बाहर रहने के बावजूद ऐसा है। ये फर्जी कार्ड राशन की दुकानों में फैले भ्रष्टाचार के साथ मिलकर ज्यादा सब्सिडी वाले अनाज में गड़बड़ी का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। ऐसी धोखाधड़ी को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

आम तौर पर यह माना जा रहा है कि यूआईडी से जुड़ा स्मार्ट कार्ड और पीडीएस संचालन के कंप्यूटरीकरण से फर्जी राशन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और सब्सिडी वाले अनाज को गलत जगह पहुंचाए जाने से रोका जा सकेगा। आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में स्मार्ट कार्ड के असर की जांच के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थीं। एक ओर जहां इन प्रायोगिक परियोजनाओं के निश्चित नतीजों का अभी तक इंतजार किया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश ने यह दावा किया है कि उसने अपने परीक्षण में स्मार्ट कार्ड के मॉडल को नाकामयाब पाया। उसने लाभार्थियों की पहचान के लिए यूआईडी से जुड़े बायोमेट्रिक कार्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था में सुधार किया और अनाज के वितरण के लिए अलग से फूड कूपन जारी किया। राशन कार्ड के तौर पर स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल में समस्या यह है कि इसके लिए राशन दुकानदारों को मशीन का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी ताकि वे बायोमेट्रिक कार्ड को पढ़ सकें, पर ये दुकानदार सामान्यत: ऐसा करने के प्रति अनिच्छुक हैं। इसके अलावा अलग-अलग जिंसों के लिए उपभोक्ता की सटीक पात्रता के बारे में स्मार्ट कार्ड पर अलिखित व आसानी से पढ़ी जाने वाली सूचना दुकानदारों के लिए धोखाधड़ी का रास्ता छोड़ती है। ऐसे में यह व्यवस्था फर्जी लाभार्थियों को किनारे रखने का सीमित मकसद ही पूरा कर पाएगी। मध्य प्रदेश मॉडल के तहत फूड कूपन के ऊपर स्पष्ट रूप से पात्रता का जिक्र होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन साल में एक बार लाभार्थियों को कूपन बांटे जाने के दौरान होगा। प्रत्यक्ष दृष्टया यह व्यवस्था आसान और उपभोक्ता के लिहाज से अच्छी नजर आती है क्योंकि उपभोक्ता उन्हें मिलने वाले राशन के प्रति जागरूक होंगे। सिर्फ कूपन लेकर दुकानदार को उस पर लिखी वस्तुओं की डिलिवरी देनी होगी। लक्षित पीडीएस के लिए देशव्यापी स्तर पर ऐसे मॉडल को अपनाने के फायदे हैं, बाद में इसका विस्तार खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज की डिलिवरी में किया जा सकता है।